संख्या:22/2022/1125 ई-2/तेरह-2022-01/2020-1427439

प्रेषक,

निधि गुप्ता वत्स
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2022

विषय:- आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-5/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2022-23, दिनांक 29.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के निम्नलिखित प्रस्तरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के प्रस्तर 2.14 के अंतर्गत विदेशी मदिरा की श्रेणीवार 90एम.एल. तक की धारिता की बोतलों पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

क्र .सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल.में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क(रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	रेगुलर	**90** एम.एल. तक	**10**/-
2	प्रीमियम	**90** एम.एल. तक	**10**/-
3	सुपर प्रीमियम	**90** एम.एल. तक	**20**/-
4	स्काच	**90** एम.एल. तक	**30**/-
5	समुद्रपार आयातित	**90** एम.एल. तक	**40**/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) आबकारी नीति 2022-23 के प्रस्तर 2.1.1 के अंतर्गत देशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के कैप्स पर श्रिंक कैप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। श्रिंक कैप का प्रयोग आरम्भ किये जाने के पूर्व आसवनियों द्वारा इस हेतु मशीनों का क्रय किया जाना है साथ ही इन मशीनों को, बाटिलंग लाइन्स में आवश्यक परिवर्धन/परिवर्तन करते हुये,लगाया जाना है और तत्पश्चात इनकी टेस्टिंग भी की जानी है जिसमें समय लगने की पूर्ण संभावना है। अत: देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की सुचारू आपूर्ति एवं राजस्व के हित में श्रिंक कैप लगाये जाने की अनिवार्यता से छूट मात्र 06 माह के लिए प्रदान की जाती है।

(3) आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के प्रस्तर 2.6.1 के अंतर्गत बीयर के त्रैमासिक राजस्व के निर्धारण के अंतर्गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास का राजस्व समान निर्धारित हो गया है जबकि वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में बीयर की खपत समान न होकर मौसम के अनुसार होती है। अत: बीयर के त्रैमासिक राजस्व का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

प्रथम त्रैमास - वार्षिक राजस्व का 35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास - वार्षिक राजस्व का 25 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास - वार्षिक राजस्व का 20 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास - वार्षिक राजस्व का 20 प्रतिशत

कृपया उपरोक्तानुसार यथास्थिति कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्य-योजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किये जाने हेतु सर्वसंबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(निधि गुप्ता वत्स)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।